गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 10.04.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 10.04.2024 को सायं 05:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
5.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
7.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
8.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
9.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
13.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में प्रेरणादायी उद्‌बोधन दिया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

10/04/2024

10/04/2024

विषय क्र. 03. **अध्ययन मण्डल राजनीति विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 22–23.08.2023 द्वारा अनुशंसित बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (NEP 2020) की पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल राजनीति विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 22–23.08.2023 द्वारा अनुशंसित बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (NEP 2020) की पाठ्यक्रम का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 04. **विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का जीवन बीमा कराये जाने के पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का जीवन बीमा कराये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों के जीवन बीमा कराये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा–निर्देश/नीति प्रारूपित करने हेतु समिति गठन किया जाय एवं समिति से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति गठन एवं समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 05. **विद्यार्थियों के लिए विशेष एटीकेटी परीक्षा का आयोजन कराये जाने संबंधी अध्यादेश संशोधन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यार्थियों के लिए विशेष एटीकेटी परीक्षा का आयोजन कराये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं समिति से प्राप्त अनुशंसाओं को अध्यादेश संशोधन का रूप दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति ने परीक्षा परिणाम घोषित होने के 50 दिवस के भीतर परीक्षा आयोजित कराये जाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे 30 दिवस मान्य किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

10/04/2024 10/04/2024.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**